दिनांक 17-04-06 को परिशाद मुख्यालय पर सम्पन्न समस्त सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) के कार्यों की प्रगति समीक्षा की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः- बैठक निदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति संलग्न विवरण के अनुसार रही। बैठक में समस्त सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) उपस्थित रहे।

गत बैठक के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति

- गत बैठक में मण्डी समिति मवाना श्री धूम सिंह), ाहजहॉपुर श्री बृजेश कुमार), चन्दौली श्री नन्द लाल पाठक), नौतनवा श्री सोमनाथ तिवारी), बहराईच श्री अजय प्रताप सिंह), सफदरगंज श्री संजय कुमार सिंह-प्रथम) व राबर्टसगंज श्री अवधेश सिंह) की ऋणात्मक प्रगति व निर्देशों के अनुपालन न करने के दृशिटगत सम्बनधित सचिवों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियॉ प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये थे। उप निदेशक प्रशासन) मुख्यालय ने बताया कि जिन मण्डियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट सम्भागीय उप निदेशक प्रशासन) से प्राप्त हो गयी थीं, उनमें कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी हैं। ोशा में सम्भागीय उप निदेशक प्रशासन) से रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी। सम्बन्धित सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) को निर्देशित किया गया कि तत्काल रिपोर्ट प्रेशित करें। यदि किसी प्रकरण में पुर्नविचार की आवश्यकता हो तो भी प्रस्तुत करायें।
- गत बैठक में स0उ0नि0 प्र0) फैजाबाद को मण्डी समिति बहराईच में मसूर छांटी) पर निर्यातकों के विरूद्ध मण्डी ुल्क की देयता निर्धारित कर माह मार्च, 06 में आवश्यक रूप से आर0सी0 जारी कराने के निर्देश दिये गये थे। स0उ0नि0 प्र0) ने अवगत कराया कि प्रश्नगत प्रकरण में अभी आर0सी0 जारी नही हुयी हैं। असन्तोशा व्यक्त करते हुये स0उ0नि0 प्र0) फैजाबाद को पुनः निर्देशित किया गया कि अप्रैल, 06 में निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये। जैसे-जैसे मानकों में निर्धारित अवधि समाप्त हो ुल्क निर्धारण व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- गत बैठक में मण्डी समिति जायस में अपवंचन के परीक्षण हेतु तीन सदस्यीय जॉच दल भेजकर जॉच कराने के निर्देश दिये गये थे। उपनिदेशक प्रशासन) मुख्यालय ने अवगत कराया कि अपर निदेशक प्रशासन) से जॉच दल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व प्राप्ति की प्रगतिः- प्रदेश की मण्डी समितियों में गतवर्शा की अपेक्षा माह मार्च, 06 में प्राथमिक आवक में -1.4ः की कमी एवं मण्डी ुल्क की आय में 6.5ः की वृद्धि रही। इसी प्रकार कमिक प्राथमिक आवक में -6.3ः एवं मण्डी ुल्क की आय में -0.9ः की कमी है। प्रदेश में गतवर्शा की अपेक्षा मण्डी ुल्क की आय में कमी को पूरा करने के प्रयास अपेक्षित हैं।

सम्भागवार समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः-

- माह मार्च, 06 तक गत वर्शा की अपेक्षा प्राथमिक आवक में मेरठ 1.8ः) व आजमगढ़ 17.8ः) में वृद्धि पायी गयी। ोशा सभी सम्भागों में प्राथमिक आवक गत वर्शा की अपेक्षा ऋणात्मक है। जिनमें से सहारनपुर, मिर्जापुर, बरेली, कानपुर व लखनऊ सम्भाग की प्रगति अधिक ऋणात्मक है। सम्बन्धित

सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) से अपेक्षा की गयी कि वे अपने सम्भाग की मण्डी समितियों में प्राथमिक आवक में होने वाली कमियों के सम्बन्ध में कमी के कारणों का संक्षिप्त सार मुख्यालय प्रेशित करें। ताकि विश्लेशाण कर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

- इसी प्रकार माह मार्च, 06 तक कमिक रूप से गतवर्शा की अपेक्षा मण्डी ूल्क की प्रगति-मिर्जापुर -23.8:), बरेली -10.8:), फैजाबाद -3.7:), गोरखपुर -3.4:), बस्ती -2.5:), सहारनपुर -2.1:) व लखनऊ -2.0:) की प्रगति ऋणात्मक है। जिनमें से मिर्जापुर व बरेली की प्रगति अत्यधिक खराब है। ेशा सम्भाग गतवर्शा से धनात्मक स्थिति में हैं जिसमें से आजमगढ़ सम्भाग में सन्तोशाजनक वृद्धि हुयी है। सम्बन्धित सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) से अपेक्षा की गयी कि वे अपने सम्भाग की मण्डी समितियों में मण्डी ूल्क में होने वाली कमियों के सम्बन्ध में कमी के कारणों का संक्षिप्त सार मुख्यालय प्रेशित करें। ताकि विश्लेशाण कर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।
- समस्त सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) को निर्देशित किया गया कि वे पूर्व में मण्डी ूल्क में कमी को गेहूँ की आगामी फसल की आवक पर प्रभावी नियंत्रण कर पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
- सम्भागीय उपनिदशेकों प्रशासन) के कथन कि धान व गेहॅ की आवक मे कमी हुयी है, से असहमति प्रकट की गयी ।

अवशेशा मण्डी ूल्क

प्रस्तुत सूचना के अनुसार प्रदेश की मण्डी समितियों में माह मार्च, 06 तक कुल रू0 1335.18 लाख मण्डी ूल्क व विकास सेस का रू0 223.50 लाख अवशेशा है। जिसमें से मण्डी ूल्क रू0 663.71 लाख की वसूली भी माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित दर्शायी गयी है। समीक्षा के दौरान स्पशट हुआ कि सहारनपुर, आगरा व इलाहाबाद सम्भागों में अवशेशा मण्डी ूल्क अधिक है और स्थगित धनराशि भी अधिक है। निर्देशित किया गया कि अपर निदेशक प्रशासन) अपने स्तर पर प्रकरण वार समीक्षा कर लें और स्थगित दर्शायी गयी धनराशि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों द्वारा पारित स्थगन की समाप्ति हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर अग्रेतर कार्यवाही करायें।

सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) इलाहाबाद को मण्डी समिति इलाहाबाद के तम्बाकू के प्रकरणों में कोई स्थगन आदेश न होने के परिपेक्ष्य में श्री जे0एन0टण्डन विधि परामर्शी मुख्यालय से परामर्श प्राप्त कर समिति हित में ीघ्र कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।

दुकान आवंटन

प्रस्तुत विवरण के अनुसार प्रदेश की मण्डी समितियों में माह मार्च, 06 तक खाद्यान्न सेक्टर की 1496 एवं फल सब्जी सेक्टर की 494 दुकानें अभी भी आवंटन से रिक्त हैं।

- मेरठ सम्भाग में खाद्यान्न की 172 दुकानें रिक्त होने के परिपेक्ष्य में सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि खुर्जा एवं मवाना में नये मण्डी स्थल निर्मित हुये हैं। अधिकांश

दुकानें इन्ही स्थलों की रिक्त हैं, जिनमें आवंटन की कार्यवाही प्रकिया में है। ृीघ्र आवंटन की अपेक्षा की गयी।

- आगरा सम्भाग में खाद्यान्न की 210 दुकाने रिक्त होने के परिपेक्ष्य में सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि 108 दुकानें आगरा मण्डी में खाद्यान्न के व्यापार स्थानान्तरण होने से सम्बन्धित हैं। जिन्हें 40 वर्शा की बजाय 20 वर्शा की अवधि पर किराया निर्धारण होने के कारण लाइसेन्सियों द्वारा दुकाने न लिये जाने से आवंटन में कठिनाई है। प्रकरण मुख्यालय पर सन्दर्भित है। अग्रेतर निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्रावली पर विचार कराने की अपेक्षा की गयी।

स0उ0नि0 प्र0) आगरा ने बताया कि आगरा मण्डी में वर्शा 2001 से अब तक प्रकाशित कराये गये दुकान आवंटन सम्बन्धी विज्ञापनों से सम्बन्धित रू0 1.00 लाख के बिल बजट के अभाव में भुगतान हेतु लम्बित हैं। वित्त नियंत्रक से परीक्षणोंपरान्त यथावश्यक बजट आवंटन की अपेक्षा की गयी।

- कानपुर सम्भाग में खाद्यान्न की 187 दुकानों के रिक्त होने के परिपेक्ष्य में सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि इनमें से 64 दुकानें कानपुर मण्डी की हैं। ृोशा रिक्त दुकानों में झींझक, कमालगंज, व जसवन्तनगर मण्डी की दुकानें इसी माह आवंटित हो जायेंगी। फर्रूखाबाद मण्डी में प्रीमियम के निर्धारण को कम करने के अनुरोध को मुख्यालय सन्दर्भित किया गया है। अग्रेतर निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्रावली पर विचार कराने की अपेक्षा की गयी।
- वाराणसी सम्भाग में खाद्यान्न सेक्टर की 159 दुकानें रिक्त होने के परिपेक्ष्य में सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी मण्डी में 124 दुकानों में सी0आर0पी0एफ0 का कब्जा है। 14 दुकानें आवंटन योक्य हैं। जिन्हें मण्डी समिति हित में फल सब्जी सेक्टर में परिवर्तित करने का अनुरोध मुख्यालय से किया गया है। वाराणसी में खाद्यान्न सेक्टर का व्यापार अभी स्थानान्तरित नही है।
- फैजाबाद सम्भाग में खाद्यान्न सेक्टर की 106 रिक्त दुकानों के परिपेक्ष्य में सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) ने अवगत कराया कि फैजाबाद मण्डी स्थल की 57 दुकानों में सी0आर0पी0एफ0 का कब्जा है। नानपारा व सुल्तानपुर मण्डी में इसी माह आवंटन हेतु नीलामी प्रस्तावित है। सफदरगंज मण्डी की 19 दुकानें ृाहर से 20 किलो मीटर दूर होन`के कारण आवंटन योग्य नही हैं। गोण्डा मण्डी की दुकानें बीस वर्शा पूर्व बनी थी, जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है। मरम्मत के उपरान्त ही आवंटन/स्थानान्तरण सम्भव हो सकेगा।
- समस्त सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) को निर्देशित किया गया कि खाद्यान्न एवं फल-सब्जी सेक्टर की आवंटन योग्य रिक्त दुकानों को अभियान चलाकर आवंटन की कार्यवाही की जाये।
- सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) वाराणसी के प्रस्ताव के कम में मण्डी स्थलों में निर्मित दुकानों के किराये से प्राप्त होने वाली धनराशि में से दुकानों की मरम्मत व स्थल के सुदृढीकरण हेतु उनके अनुरक्षण के लिये चिन्हित किये जाने की प्रकिया निर्धारित कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

- विपणन ाखा से अपेक्षा की गयी कि बैठक में रखे जाने वाली सूचना मण्डीवार सारगर्भित हो जिससे स्पशट हो सके कि आवंटन योग्य व अन्य विभागों के कब्जों में कितनी दुकानें हैं।

<u>भूमि अधिग्रहण</u>

प्रस्तुत विवरण के अनुसार पृथक-पृथक मण्डी स्थलों हेतुं भूमि अधिग्रहण की प्रस्तावित कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि: -

- मण्डी स्थलों हेतु भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व भूमि की आवश्यकता सुनिश्चित की जाये व व्यापार स्थानान्तरण हेतु लाइसेन्सियों की सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- भूमि अधिग्रहण के विवाद में यदि कोई वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो तो, उसमें की गयी कार्यवाही की अद्यावदिक सूचना से अवगत कराते हुये रिपोर्ट अविलम्ब मुख्यालय प्रेशित की जाये।
- यह भी अपेक्षा की गयी कि जो प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की घोशाणा से सम्बन्धित हों, उनमें कार्यवाही में गतिशीलता बनाये रखी जाये।
- बैठक की बुकलेट में प्रस्तुत सूचना के प्रारुप में यथावश्यक संशोधन हेतु उपनिदेशक प्रशासन)/प्रभारी भूमि अध्याप्ति अनुभाग को संशोधनों से अवगत कराया गया।

<u>व्यापार स्थानान्तरण</u>

समीक्षा के दौरान स्थलवार निम्न स्थिति प्रकाश में आयी।

गाजियाबाद गोविन्दपुरम) - सम्भागीय उपनिदेशक प्र0) मेरठ ने अवगत कराया कि व्यापार स्थानान्तरण हो गया है। समीक्षा हेतु प्रस्तुत सूची से हटाने के निर्देश दिये गये।

मवाना- स0उ0नि0 प्र0) मेरठ से धारा 7 2) ख) का संशोधित आलेख ीघ्र प्रेशित करने की अपेक्षा की गयी।

खुर्जा- स0उ0नि0 प्र0) मेरठ ने बताया कि व्यापार स्थानान्तरित हो गया है। समीक्षा हेतु प्रस्तुत सूची से हटाने के निर्देश दिये गये।

फैजाबाद- स0उ0नि0 प्र0) फैजाबाद ने बताया कि सी0आर0पी0एफ0 का कब्जा है। आयुक्त महोदय द्वारा सी0आर0पी0एफ0 को मण्डी स्थल से अन्यत्र भूमि की व्यवस्था करा दी गयी है। सी0आर0पी0एफ0 के शिफ्ट होने के बाद व्यापार स्थानान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी।

अमेठी सुल्तानपुर)- स0उ0नि0 प्र0) फैजाबाद ने बताया कि उपलब्ध लाइसेंसी स्थानान्तरित किये जा चुके हैं। दुकानें अधिक व लाइसेन्सी कम होने के कारण दुकानें रिक्त हैं।

कर्नेलगंज- स0उ0नि0 प्र0) फैजाबाद ने बताया कि दुकाने कम थी व लाइसेन्सी अधिक हैं। अतिरिक्त दुकानें निर्माणाधीन हैं। निर्माण कार्यवाही पूर्ण होते ही आवंटन/स्थानान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी।

इलाहाबाद मत्स्य)- स0उ0नि0 प्र0) इलाहाबाद ने बताया कि मत्स्य मण्डी के स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है। मत्स्य का वर्तमान में चल रहा व्यापार व निर्मित स्थल में दूरी होने के कारण मछलियों के मरने की आशंका से व्यापारी स्थानान्तरित होने के इच्छुक नही हैं। स0उ0नि0 प्र0) इलाहाबाद से नवनिर्मित स्थल में ही व्यापार स्थानान्तरण के प्रयास करने की अपेक्षा की गयी ।

भरवारी- स0उ0नि0 प्र0) इलाहाबाद ने बताया कि दुकानें कम हैं और लाइसेन्सी अधिक हैं। सभी लाइसेन्सी एक साथ स्थानान्तरित होने के इच्छुक हैं। 9 अतिरिक्त दुकानो के निमाण का अनुरोध किया गया । स0उ0नि0 प्र0) के अनुरोध के कम में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भिजवाने की अपेक्षा की गयी।

फतेहपुर- स0उ0नि0 प्र0) इलाहाबाद ने बताया कि स्थल ृाहर से दूर व रेलवे कासिंग के पार है। कासिंग पार करने के लिये कोई पुल भी नही है। इस कारण पूर्ण व्यापार स्थानान्तरण में कठिनाई हो रही है।

बिन्दकी- स0उ0नि0 प्र0) इलाहाबाद ने बताया कि 17 मिलर्स को दुकान आवंटित है। सभापति के असहयोग के कारण स्थानान्तरण की कार्यवाही अवरुद्ध है। स0उ0नि0 प्र0)इलाहाबाद से रिपोर्ट प्रेशित कर निदेशक की ओर से जिलाधिकारी को अर्द्धशासकीय पत्र भिजवाने की अपेक्षा की गयी।

नाऊपुरवा- स0उ0नि0 प्र0) लखनऊ ने बताया कि स्थल में 10 दुकानें निर्मित हैं । परन्तु दूरस्थ होने, आसपास व्यापार न होने व लाइसेन्सियों के अभाव में दुकानें रिक्त हैं।

सीतापुर फल-सब्जी)- स0उ0नि0 प्र0) लखनऊ ने बताया कि दुकानों का निर्माण व अन्य कार्य प्रगति में है। निर्माण कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त व्यापार स्थानान्तरित करा लिया जायेगा।

<u>बीमा योजनायें</u>

- प्रस्तुत विवरण के अनुसार माह मार्च, 06 की समाप्ति पर खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना योजना के अन्तर्गत 257 दावे एवं समूह जनता व्यग्तिगत दुर्घटना योजना क अन्तर्गत 256 दावे लम्बित होने की सूचना के दृशिटगत समीक्षा में निर्देशित किया गया कि सम्भाग स्तर पर समीक्षा करके लम्बित सबसे पुराने दावों को प्रगति में कारणों के उल्लेख सहित विवरण भेजा जाये।
- समीक्षा हेतु मुख्यालय पर प्रस्तुत किये जाने वाले प्रारुप में तत्सम्बन्धी स्तम्भ को जोड़कर सूचना बुकलेट में संग्रहीत की जायेगी।
- लम्बित दावों के ृाीघ्र निस्तारण की अपेक्षा भी की गयी।

<u>लेखा सम्बन्धी</u>

- मण्डी समितियों को परिशाद से दिये गये ऋण हेतु प्रस्तुत विवरण से स्पशट हुआ कि आगरा, मेरठ, लखनऊ व सहारनपुर सम्भाग की मण्डियों से ऋण वापसी की प्रगति सन्तोशाजनक नही है। स0 उपनिदेशकों प्र0) ने अवगत कराया कि ृाासनादेश की व्यवस्था के अनुसार निश्चित सीमा के उपरान्त ही सभी धनराशि मण्डी विकास निधि मे मुख्यालय भेज दी जाती है। मण्डियों में धन उपलब्ध न रह

पाने के कारण ऋण वापसी नही हो रही है। उक्त परिपेक्ष्य में स0उ0नि0 प्र0) से अपेक्षा की गयी कि यदि किसी मण्डी पर विगत में परिशाद से लिये गये ऋण की कोई धनराशि बकाया हो तो उस मण्डी के क्षेत्रान्तर्गत निर्माण कार्यों के प्रस्तावों में इस बात को अनिवार्य रूप से इंगित भी कराया जाये और वित्त नियंत्रक परियोजना की स्वीकृति से पूर्व तत्सम्बन्धी पत्रावलियों पर इस बात का उल्लेख करेंगें कि प्रथमतः ऋण वापसी आवश्यक है। साथ ही वित्त नियंत्रक से यह भी अपेक्षा की गयी कि वे परिशाद मुख्यालय पर जमा विकास निधि की धनराशि से सम्बन्धित मण्डी पर बकाया ऋण के समायोजन की सम्भावनाओं एवं नीति पर विचार करा लें।

- मण्डी समितियों में लम्बित अंशदान के प्रेशाण में सुधार बताते हुये सम्भागीय उपनिदेशक प्र0) से अपेक्षा की गयी कि लम्बित अंशदान की अधिक से अधिक धनराशि प्रेशाण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

मण्डियों में कम्प्यूटराईजेशन

उपनिदेशक कृशि विपणन) द्वारा भारत सरकार की योजनान्तर्गत एगमार्कनेट योजना के अन्तर्गत मण्डी समितियों हेतु प्राप्त हुये कम्प्यूटरों का वर्तमान स्टेटस प्रस्तुत करते हुये योजना के अर्न्तगत प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को नामित करने का अनुरोध किया गया। विशाय की गम्भीरता के दृशिटगत सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्देश दिये गयेः -

- कम्प्यूटरों के सफल संचालन हेतु सम्भाग स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि उपनिदेशक कृशि विपणन), स्वयं एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर ृीघ्र नियत करायेंगें।
- समस्त सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) का दायित्व होगा कि वे प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियो को नामित करते हुये प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु निर्देशित करेंगें। यह सुनिश्चित भी करेंगें कि नामित कर्मचारी प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से सम्मिलित हो, जो कर्मचारी आदेशों की अवहेलना करेंगा उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।
- मण्डी समितियों में उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर्स का इंस्टालेशन सम्बन्धित फर्म से दिनांक 30-4-06 तक अवश्य करा लें। जिन मण्डियों में वारन्टी पीरिएड समाप्त हो गया हो, वे स्थानीय स्तर पर इंस्टालेशन की व्यवस्था कर लें।
- कम्प्यूटरों की आवश्यक मरम्मत व अनुरक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर वार्शिक अनुरक्षण अनुबन्ध ए0एम0सी0) करा लें।
- समस्त सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) अपने स्तर पर समीक्षा कर सुनिश्चित कर लें कि जिन मण्डियों में कम्प्यूटर्स इंस्टाल होने हैं, उनमें टेलीफोन, कमरा, इन्टरनेट कनेक्टीविटी व विघुत प्रवाह आदि की व्यवस्था इंस्टालेशन से पहले ही हो जाये।
- उक्त कार्यवाहियों में प्राथमिकता से सुनिश्चित करने हेतु समस्त सचिवों को निदेशक की ओर से परिपत्र भी निर्गत करा लें।

अनुशासनात्मक कार्यवाही

- अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के प्रस्तुतीकरण में समीक्षा की सुगमता हेतु जॉच अधिकारीवार सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी और प्रारूप में कार्यवाहियों का सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित करते हुये उसमें आरोही कम में पुराने प्रकरण को सबसे ऊपर दर्शाया जाये।
- अनुशासनिक कार्यवाही के निर्ण लिये जाने व तत्सम्बन्धी आदेश के साथ ही आरोप-पत्र निर्गत कराया जाये।

अन्य समस्यायें

- सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) बरेली ने अवगत कराया कि मण्डी स्थल बरेली में सब स्टेशन स्थापित करने हेतु विद्युत विभाग को भूमि आवंटित करनी है जिससे एक फीडर से मण्डी में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। प्रकरण सुसंगत अभिलेखों सहित मुख्यालय को सन्दर्भित किये जाने की जानकारी दी गयी। प्रकरण को मा0 मण्डी परिशाद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कराने के निर्देश दिये गये।
- स0उ0नि0 प्र0) कानपुर ने बताया कि माननीय न्यायालयों के आदेशों के परिपेक्ष्य में आयुक्त कानपुर सम्भाग की अध्यक्षता में गठित समिति के दिशा-निर्देशों में फल-सब्जी के सेक्टर हेतु 636 दुकानें बनायी जानी प्रस्तावित हैं, जिसमें से 350 दुकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उक्त प्रोजेक्ट अलग-अलग चरणों में स्वीकृत हो रहा है। आयुक्त महोदय के निर्देशों को उद्धरित करते हुये स0उ0नि0 प्र0) द्वारा अनुरोध किया गया कि समस्त 636 दुकानों के प्रोजेक्ट एक साथ ही स्वीकृत कराकर दुकानों का निर्माण एक साथ ही कराया जाये। दुकानें निर्मित होने के उपरान्त व्यापार स्थानान्तरण एक मुश्त कराया जायेगा, अन्यथा प्रशासनिक कठिनाइयों के साथ ही मा0 न्यायालय की अवमानना के प्रकरण भी हो सकते हैं। अनुरोध के कम में अधीक्षण अभियन्ता निर्माण) मुख्यालय से इस वर्शा के बजट में उक्त कार्य समाहित कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक के अन्त में निम्न प्राथमिकताओं की ओर ध्यान आकृशट किया गयाः-

1) कृशि वर्शा के ेशा आगामी तीन माहों में मण्डी ुल्क के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाये।

2) केन्द्र सरकार की योजनान्तर्गत प्राप्त कम्प्यूटर्स के संचालन हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स सुनिश्चित कर संचालन प्रारम्भ कराया जाये।

3) समयबद्ध रूप से विशेशा अभियान के अन्तर्गत रिक्त दुकानों का आवंटन किया जाये।

4) अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रकरण के निस्तारण में गतिशीलता लाई जाये।

5) गेहूँ खरीद योजना के अन्तर्गत अपेक्षित सूचनायें निर्धारित समय से मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायें।

6) गेहूँ की आवक पर नियंत्रण हेतु मेरठ, सहारनपुर, आगरा व बरेली सम्भाग में प्रदेश की सीमा क्षेत्र पर प्रवर्तन की कार्यवाहियों में प्रगति लाई जाये।

7) मण्डी स्थलों में अपेक्षित मरम्मत के कार्यों पर विशेशा ध्यान दिया जाये।

सीताराम यादव)
अपरनिदेशक प्रशासन)

राज्य कृशि उत्पादन मण्डी परिशाद, उ0प्र0
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

पत्रांकः नियो0/अनु0/बैठक/06 दिनांक , 06

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1- निजी सचिव निदेशक/अपर निदेशक प्रशासन)/वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिशाद मुख्यालय।

2- उपनिदेशक प्रशासन) मुख्यालय 1/2)/वरिशठ लेखाधिकारी आर0/बी0)/संयुक्त निदेशक निर्माण) /उपनिदेशक मण्डी सर्वेक्षण)/सिस्टम मैनेजर/उपनिदेशक विपणन1/2)/विधि परामर्शी, मण्डी परिशाद मुख्यालय।

3- समस्त सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) को इस आशय से प्रेशित कि वे कार्यवृत्त की एक-एक प्रति अपने अधीनस्थ निर्माण खण्डों एवं मण्डी समितियों को यथा ृाीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन भी कराना सुनिश्चित करें।

4- उपनिदेशक कृशि विपणन), कृशि विपणन निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ।

4- समस्त अधिकारी मण्डी परिशाद मुख्यालय।

हेमन्त कुमार)
उपनिदेशक प्रशासन)

<u>दिनांक 17-04-06 को मुख्यालय पर सम्पन्न बैठक में उपस्थिति</u>

कमांक	नाम	पदनाम
1ण	सर्वश्री देवेश चतुर्वेदी	मण्डी निदेशक
2ण	'' '' सीतराम यादव	अपर निदेशक प्रशासन)
3ण	'' '' एम0एस0 सिद्दकी	वित्त नियंत्रक
4ण	'' '' यू0पी0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, मण्डी परिशाद।
5ण	'' '' वीरेन्द्र कुमार सिंह	उपनिदेशक प्रशासन-मुख्यालय)
6ण	'' '' हेमन्त कुमार	उपनिदेशक प्रशासन-मुख्यालय)
7ण	'' '' महक सिंह	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) मुरादाबाद
8ण	'' '' सहदेव	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) इलाहाबाद/मिर्जापुर
9ण	'' '' वेद प्रकाश सिंह	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) मेरठ
10ण	'' '' सर्वज्ञ राम मिश्र	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) आजमगढ़/वाराणसी
11ण	'' '' आर0एन0 सिंह	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) कानपुर
12ण	'' '' राजेश कुमार सिंघल	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) बरेली
13ण	'' '' घना राम	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) आगरा
14ण	'' '' पी0के0 सिंह	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) फैजाबाद
15ण	'' '' अखिलेश सिंह	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) झांसी
16ण	'' '' रणवीर सिंह	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) सहारनपुर

17ण	,, ,, श्रीश चन्द्र वर्मा	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) गोरखपुर
18ण	,, ,, अहिबरन लाल	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) बस्ती
19ण	श्रीमती मंजू मिश्रा	सम्भागीय उपनिदेशक प्रशासन) लखनऊ
20ण	,, ,, एम0पी0 श्रीवास्तव	उपनिदेशक मण्डी सर्वेक्षण)
21ण	,, ,, एम0के0एस0 सचान	उपनिदेशक विपणन) मण्डी परिशाद।
22ण	,, ,, बिन्दा प्रसाद	उपनिदेशक विपणन), मण्डी परिशाद।
23ण	,, ,, दीपक सिन्हा	सिस्टम मैनेजर, मण्डी परिशाद।
24ण	,, ,, डा0 सुग्रीव ाुक्ला	उपनिदेशक विपणन), कृशि विपणन निदेशालय।
25ण	,, ,, ए0के0 सक्सेना	विधि अधिकारी
26ण	,, ,, यू0एस0 जायसवाल	विपणन अधिकारी
27ण	,, ,, प्रकाश यादव	अनुश्रवण अधिकारी
28ण	,, ,, ए0ए0 रहमान	अनुभाग अधिकारी विपणन)
29ण	,, ,, काशी प्रसाद	अनुभाग अधिकारी विपणन)
30ण	,, ,, जी0सी0 पाण्डेय	अनुभाग अधिकारी
31ण	,, ,, आर0एस0 गुप्ता	अनुभाग अधिकारी
32ण	,, ,, जयपाल सिंह	अनुभाग अधिकारी
33ण	,, ,, सतीश चन्द्र गुप्ता	अनुभाग अधिकारी
34ण	,, ,, टी0एन0 तिवारी	अनुभाग अधिकारी
35ण	,, ,, लाल बहादुर खरे	अपर सांख्यिकीय अधिकारी
36ण	,, ,, अश्वनी कुमार भटनागर	अपर अनुश्रवण अधिकारी
37ण	,, ,, सुशील झा	अपर तकनीकी अधिकारी
38ण	,, ,, नरेश चन्द्र	अनुश्रवण सहायक